न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–
मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
54/2019/प्रा.पत्र/2019

तारीख दायरा
01.08.2019

तारीख निर्णय
29.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजू विजयवर्गीय पुत्र श्री रामप्रसाद विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी सण्डीला तहसील व जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स विजयवर्गीय प्रोविजन स्टोर एसबीआई बैक के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक

2– मैसर्स विजयवर्गीय प्रोविजन स्टोर एसबीआई बैक के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री श्याम सुन्दर विजय,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2019 को समय 6.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स विजयवर्गीय प्रोविजन स्टोर एसबीआई बैक के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री राजू विजयवर्गीय पुत्र श्री रामप्रसाद विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी सण्डीला तहसील व जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स विजयवर्गीय प्रोविजन स्टोर एसबीआई बैक के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंकखाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर दुकान मे **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (पीएपी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 016 एंव पैकिग की दिनांक 24.04.2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री राजू विजयवर्गीय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु ... कर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता राजू विजयवर्गीय ... प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के 5 कार्टूनो मे 144 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 250–250 एम.एल.पैक **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (पीएपी ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 250–250 एम.एल पैक की 48 बोतल वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकेता. श्री राजू विजयवर्गीय को रू0 300/–अक्षरे तीन सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (पीएपी ब्राण्ड)** 48 मूल पैक प्रत्येक 250–250 एम.एल पैक को ज्यो का त्यो 12–12 नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2168 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2168 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. राजू विजयवर्गीय के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2019/1203 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1196/एक्ट/2019/805 दिनांक 16.05.2019 अनुसार राजू विजयवर्गीय से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (पीएपी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (पीएपी ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:20 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (पीएपी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (पीएपी ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राजू विजयवर्गीय पुत्र श्री रामप्रसाद विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी सण्डीला तहसील व जिला टोंक एफ.बी.ओ मैसर्स विजयवर्गीय प्रोविजन स्टोर एसबीआई बैक के सामने देवली रोड टोंक जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

29-10-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:20 IST
Reason: SelfAttested